Protean eGov Technologies Limited

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए आधार आधारित उपयोगकर्ता ऑथेंटिकेशन के माध्यम से NPS लेनदेन

© 2024 Protean eGov Technologies Limited, All rights reserved.
Property of Protean eGov Technologies Limited.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, for any purpose, without the express written consent of Protean eGov Technologies Limited.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए आधार आधारित उपयोगकर्ता ऑथेंटिकेशन के माध्यम से NPS लेनदेन

Q.1 NPS के अंतर्गत नोडल कार्यालयों के लिए आधार आधारित उपयोगकर्ता ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया क्या है?

A. सरकारी सेक्टर (केंद्र/राज्य/CAB/SAB) के तहत नोडल ऑफिस को CRA सिस्टम (CRA और NPSCAN) में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (यूजर आईडी और आधार नंबर) के साथ लॉगिन करने की अनुमति होगी। इसके लिए आधार OTP (जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा) का उपयोग किया जाएगा। ओवरसाइट ऑफिस (PrAO/DTA) को पहले अपने संबंधित यूजर आईडी के साथ (PrAO/DTA के रूप में नामित संबंधित अधिकारी) अपना आधार लिंक करना होगा, ताकि वे अधीनस्थ ऑफिस द्वारा किए गए अनुरोधों को मंजूरी दे सकें।

Q.2 आधार आधारित लॉगिन प्रक्रिया क्यों लागू की गई है?

A. 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को लागू किया गया है ताकि वर्तमान सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जा सके। यह प्रक्रिया CRA सिस्टम तक पहुंचने के लिए नोडल ऑफिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ जोड़ी गई है।

Q.3 आधार आधारित प्रक्रिया कब शुरू होगी और क्या नोडल कार्यालयों का आधार विवरण दर्ज करना अनिवार्य है?

A. 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। नोडल ऑफिस 1 अप्रैल 2024 से अपने आधार नंबर को संबंधित यूजर आईडी से जोड़े बिना CRA और NPSCAN सिस्टम का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

इसके अलावा, संबंधित नोडल ऑफिसों के लिए यह अनिवार्य है कि एनपीएस संरचना के तहत सभी 3 ऑफिस (PrAO/PAO/DDO) और (DTA/DTO/DDO) आधार आधारित ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।

Q.4 आधार को नोडल कार्यालय यूजर आईडी से लिंक करने के लिए कौन से विवरण आवश्यक हैं?

A. उपयोगकर्ता को नाम, लिंग, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही, संबंधित नोडल अधिकारी को सहायक दस्तावेज़ (जैसे नियुक्ति पत्र, प्राधिकरण पत्र, या पहचान पत्र), जिसका आकार **5MB** से अधिक न हो, अपलोड करना भी आवश्यक होगा।

Q.5 आधार लिंकिंग अनुरोधों को कौन अधिकृत करेगा?

A. आधार लिंकिंग अनुरोधों को नीचे दी गई तालिका में दिए गए पदानुक्रम के अनुसार संबंधित कार्यालयों द्वारा अधिकृत किया जाएगा:

आधार लिंकिंग अनुरोध विवरण	अधिकृत करने वाला कार्यालय
PrAO/DTA	CRA
PAO/DTO	PrAO/DTA
DDO	PAO/DTO

Q.6 उपयोगकर्ता संबंधित नोडल कार्यालयों द्वारा किए गए अनुरोधों की स्थिति कैसे देख सकता है?

A. जो उपयोगकर्ता अपने संबंधित कार्यालयों द्वारा भेजे गए आधार अनुरोधों को अधिकृत करेंगे, वे CRA एप्लिकेशन के तहत "यूजर मेंटेनेंस" टैब के अंतर्गत स्थिति देख पाएंगे।

Q.7 क्या अनुरोध की स्वीकृति की स्थिति में कार्यालय को ईमेल अलर्ट भेजा जाएगा?

A. अनुरोध भेजे जाने और स्वीकृति पर संबंधित नोडल ऑफिस को ईमेल अलर्ट भेजे जाएंगे।

Q.8 एक यूजर आईडी से कितने आधार नंबर लिंक किए जा सकते हैं?

A. एक यूजर आईडी के साथ अधिकतम 5 अलग-अलग आधार नंबर जोड़े जा सकते हैं। यदि किसी यूजर आईडी के साथ पहले से ही 5 आधार नंबर जुड़े हुए हैं, तो 6वें उपयोगकर्ता (आधार नंबर A6) को उसी यूजर आईडी का उपयोग करके लॉगिन करने की अनुमति नहीं होगी। स्क्रीन पर एक त्रुटि संदेश दिखाया जाएगा: "यूजर आईडी के साथ पहले से ही अधिकतम आधार नंबर जुड़े हुए हैं। कृपया CRA से संपर्क करें।"

Q.9 क्या एक आधार नंबर को एक से अधिक यूजर आईडी से जोड़ा जा सकता है?

A. एक ही आधार नंबर को एक से अधिक यूजर आईडी से नहीं जोड़ा जा सकता है (जैसे, PAO एंटिटी आईडी 12345600 और 12345601 के लिए एक ही आधार नंबर नहीं हो सकता)।

Q.10 क्या नोडल कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं को जोड़ने/हटाने की कोई सुविधा है?

A. हां, नोडल कार्यालय में उपयोगकर्ताओं को जोड़ने या हटाने की सुविधा है। मानक संचालन प्रक्रिया नीचे दिए गए URL पर निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

{www.npscra.nsdl.co.in (Visit Home >Central Government>Nodal Office Corner> Standard Operating Procedure)}

"सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए आधार आधारित लॉगिन" से संबंधित SOP डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Q.11 अधिकृत नोडल कार्यालय को स्वीकृति हेतु लंबित अनुरोधों के बारे में कैसे पता चलेगा?

A. अधिकृत नोडल कार्यालय को CRA प्रणाली में लॉग इन करना होगा और OTP का उपयोग करके अपने आधार विवरण को प्रमाणित करना होगा और "यूजर मेंटेनेंस" टैब के तहत अनुरोध को स्वीकृत करना होगा।

अधिकृत नोडल ऑफिस "यूजर मेंटेनेंस" टैब के तहत "ऑथराइज़ मैपिंग रिक्वेस्ट" में "व्यू रिक्वेस्ट स्टेटस" टैब का चयन कर सभी लंबित अनुरोध देख सकता है। लंबित अनुरोधों को Acknowledgement ID या तारीख दर्ज करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

Q.12 क्या आधार को लिंक करना एक बार की प्रक्रिया है?

A. हाँ, आधार लिंकिंग एक बार की प्रक्रिया है, जिसे नोडल कार्यालयों द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

****